

दिनांक 02.11.2016 को तहसील सिकन्दरपुर, बलिया में आयोजित

तहसील दिवस बावत अभिलिखित टिप्पणी

दिनांक 02.11.2016 को मेरे द्वारा तहसील सिकन्दरपुर (बलिया) में आयोजित तहसील दिवस में भाग लिया गया। शेष अन्य तहसीलों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित की गई। तहसील सिकन्दरपुर, बलिया में आयोजित तहसील दिवस के दौरान प्रस्तुत उपस्थिति पंजिका का परीक्षण करने पर सभी अधिकारीगण उपस्थित पाये।

तहसील में आयोजित तहसील दिवस के संबंध में बनाई गई उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया गया। उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव शासनादेश के निर्देशों के अनुरूप जिला स्तरीय व तहसील स्तरीय अधिकारियों के अलग-अलग अनुरक्षित किया जाना पाया गया जिसमें जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जा रहे हैं।

दिनांक 02.08.2016 की तहसील दिवस में कुल 148 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिन्हे सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को पृष्ठांकित करके मौके पर जाचोपरान्त निस्तारण आख्या उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध कराये गये हैं। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों का पंजीकरण तहसील दिवस पंजिका व कम्प्यूटराइजेशन हेतु निर्धारित 10 अंकों के क्रमांक में दर्ज कर आवेदकों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जा रही थी। संबंधित प्रार्थना पत्रों में आवेदक या उसके सम्पर्क मोबाइल नं० यथासम्भव अंकित कराए जा रहे हैं। तहसील दिवस पंजिका अद्यावधिक पायी गयी है। तहसील दिवस के दौरान प्रस्तुत आवेदन पत्र पंजिका के अवलोकन से विगत तहसील दिवस से सम्बन्धित 12 सन्दर्भ में निस्तारण आख्या अंकित न होना अवशेष पाये जाने पर स्थिति की जानकारी करने पर तहसीलदार सिकन्दरपुर द्वारा बताया गया कि उक्त अनिस्तारित सन्दर्भ राजस्व विभाग, पूर्ति विभाग, चकबन्दी विभाग, विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के सम्बन्धि है जिनसे अभी तक जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। उप जिलाधिकारी सिकन्दरपुर को आदेशित किया गया कि वे सम्बन्धित अधिकारी को 03 दिन के अन्दर निस्तारण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित पत्र निर्गत करें तथा उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी को भी प्रेषित करें।

तहसील दिवस में भूमि विवाद एवं पट्टा/आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके दृष्टिगत तहसीलदार/उप जिलाधिकारी को विगत वर्षों में किये गये पट्टे की भूमि पर पट्टेदार के कब्जा का निरीक्षण/सत्यापन करने एवं इसकी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त भूमि विवाद एवं भूमि पैमाइस की भी शिकायतें प्राप्त होने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि भूमिधरी की पैमाइस के सम्बन्ध में धारा 41 भू-राजस्व अधिनियम के लम्बित प्रकरणों को अभियान चलाकर निस्तारण सुनिश्चित कराये और सभी आवेदन पत्रों को कम्प्यूटर में फीड करके ससमय आवश्यकतानुसार पुलिस बल सहित निस्तारण सुनिश्चित कराये एवं प्रति सप्ताह उसकी समीक्षा क्षेत्राधिकारी के साथ करने करे।

इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत भी अनियमितता बरतने वाले कोटेदारों की विस्तृत जांच करके उनके विरुद्ध शासनादेशानुसार निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही संहत वैधानिक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिए गये और आवेदन पत्रों के अंतिम निस्तारण की स्थिति में शिकायत कर्ता को भी उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने कराये।

तहसील दिवस में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है तथा अन्य विभागों द्वारा हेल्प डेस्क भी लगाए गए पाये गये तथा निरक्षरों एवं लिखने में असमर्थों के आवेदन पत्रों को लिखने के लिए तहसील के एक कर्मी को लगाया गया था।

सामान्य:

तहसील दिवस के दौरान प्रकाश में आयी स्थिति के अनुसार विगत तहसील दिवसों के लम्बित सन्दर्भों के प्रति कुछ अधिकारीगण द्वारा रुचि नहीं लिया जाना पाया गया, जो शासन की मंशा के विपरीत है सन्दर्भ लम्बित रखने वाले अधिकारी सहित अन्य सभी उपस्थित अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया कि तहसील दिवस से सम्बन्धित सन्दर्भों का निस्तारण समय से किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

(गोविन्द राजू एम0एस0)
जिलाधिकारी, बलिया।

संख्या 37/आ0ले0जि0-तह0दिवस-2016

दिनांक : नवम्बर 03, 2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-12, लखनऊ।
2. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
5. मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस।
6. अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बलिया।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, सिकन्दरपुर, बलिया।
8. जिला विज्ञान अधिकारी बलिया को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(गोविन्दराजू एन0एस0)
जिलाधिकारी, बलिया